उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-50/2019/512/92-2-19-06जॉच/2016
लखनऊ:: दिनांक:: 27 फरवरी 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा में सहायक अभियंता के पद का कार्यभार निर्वहन के समय धनराशि रू0 10,00.00 से अधिक के कार्यादेश निर्गत कर वित्तीय अनियमितता कर शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-51/2016/1650/92-2-16-06जांच/ 2016 दिनांक 29-08-2016 द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल्-बरेली को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बरेली के पत्र संख्या- 507/ ग्रा0अ0वि0/आशु0अनु0/पत्रा0-08/श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, सहा0अभि0/17-18 दि0 13-06-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में कतिपय आरोप सिद्ध पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-954/92-2-17-06जांच/2017 दिनांक 13-07-2017 द्वारा अपचारी अधिकारी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 02-08-2017द्वारा शासनमें उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों पर
उपलब्ध कन्टीजेन्सी मद की धनराशि उपर्युक्त कार्यादेशों द्वारा अधिशासी अभियंता कार्यालय भवन की रंगाई, पुताई, सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई कार्यो पर व्यय की गयी, जिससे यद्यपि किसी प्रकार की शासकीय क्षति परिलक्षित नही हुई तथापि डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों पर उपलब्ध धनराशि कार्यालय भवन पर व्यय किया जाना वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिये शासन द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमारको परिनिन्दा का दण्ड तथा एक वर्ष की वेतनवृद्धि रोके जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चय करते हुये शासन के पत्र दिनांक 05-07-2017 द्वारा उक्त पर मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से सहमति मांगी गयी, जो आयोग के पत्र दिनांक 30-06-2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी, जिसमें मा0 आयोग द्वारा वित्तीय क्षतिसे संबंधित कोई दण्ड दिये जाने का औचित्य न होने के कारण कराये गये कार्य में प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिये श्री ज्ञानेन्द्र कुमार को प्रशासनिक दण्ड के रूप में परिनिन्दा का दण्ड दिया जाना उचित बताया गया है।

3- अतएव अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड एवं उस पर मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा किये गये संवीक्षण/प्राप्त सहमति एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की शासकीय क्षति नही पायी गयी है परन्तु श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता कार्यादेश निर्गत करने हेतु उसकी स्वीकृति न प्राप्त कर कार्य कराने एवं भुगतान की संस्तुति करने के उत्तरदायी पाये जाने पर उनके विरूद्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-51/2016/1650/92-2-16-06जांच/ 2016 दिनांक 29-08-2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-100/2018/1685/92-2-18-06जांच/2018 दिनांक 31-07-2018 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त की गयी।

4- शासन द्वारा दिये गये उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा अपने पत्र संख्या-32/ग्रा0अ0वि0/अभ्यावेदन-मथुरा/2016-17 दिनांक 23-08-2017 को प्रस्तुत करते हुये शासन द्वारा दिये गये परिनिन्दा के दण्ड को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया। श्री ज्ञानेन्द्र द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदन में अवगत करायागया कि लोहिया ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य में स्वीकृत धनराशि में से कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कंटीजेन्सी मद में उपलब्ध धनराशि में से रू0 20,000.00 तक की सीमा के अंतर्गत कार्यादेश निर्गत करने एवं कार्य कराने की अनुमति तत्का0 अधिशासी अभियंता द्वारा लिखित रूप से प्रदान की गयी तथा उनके द्वारा पारित समस्त भुगतान के देयक प्रखण्डीय लेखाधिकारी द्वारा विधीक्षित किया तथा उक्त भुगतान संबंधी मासिक लेखा महालेखाकार कार्यालय भेजा गया जिस पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नही की गयी।

5- श्री ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में स्वीकृत मद से भिन्न दरों पर व्यय किये जाने के फलस्वरूप श्री ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये वे उत्तरदायी है। अत: उनके विरूद्ध परिनिन्दा का दण्ड समाप्त किये जाने का कोई औचित्य न पाये जाने के दृष्टिगत शासन के पत्र सं0-163/2018/2414/92-2-18-06जांच/2016 दिनांक 16.11.2018 द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार के प्रत्यावेदन दिनांक 23.08.2018 को बलहीन पाये जाने के कारण शासन द्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित किया गया।

6- इस संबंध में श्री ज्ञानेन्द्र कुमार के पत्र दिनांक 26.10.2018 द्वारा पुन: उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रखण्ड-मथुरा में सहायक अभियंता के पद पर कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण कार्यालय की मरम्मत डा0 राम मनोहर लोहिया के कार्यो पर उपलब्ध कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी मद में उपलब्ध धनराशि से खण्डीय अधिकारी से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर करवाया गया था जिसके लिये उन्हें 10,000.00 से अधिक के कार्यादेश निर्गत कर वित्तीय नियमों का अतिक्रमण करने के लिये आरोपित किया गया, जबकि टेक्नीकल आडिट सेल की जांच रिपोर्ट में कोई भी वित्तीय क्षति नही पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत श्री ज्ञानेन्द्र कुमार ने अपने विरूद्ध पारित दण्डादेश को निरस्त किये जाने का पुन: अनुरोध किया गया।

7- श्री ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन एवं अन्य अभिलेखों पर सम्यक परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा द्वारा राजीव भवन कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कार्यालय भवन की रंगाई, पुताई एवं मरम्मत किये जाने के निर्देश दिये गये, परन्तु कार्यालय मरम्मत मद में धनराशि उपलब्ध न होने पर डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि की कन्टीजेन्सी मद में उपलब्ध धनराशिसे कार्यादेश निर्गत कर उक्त कार्य कराये गये जिसके लिये तत्का0 अधिशासी अभियंता द्वारा अपने पत्र क्रमश: दिनांक 22.06.2015, 25.06.2015, 28.06.2015, 01.07.2015 एवं 04.07.2015 द्वारा कार्यादेश से मरम्मत कार्य कराने की अनुमति प्रदान की गयी, जिसमें यद्यपि किसी प्रकार की शासकीय क्षति परिलक्षित नही पायी गयी है, परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा लोहिया ग्रामों की कन्टीजेन्सी मद से कराया गया उक्त कार्य वित्तीय अनियमितता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- इस प्रकार श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की शासकीय क्षति कारित नही की गयी है। अत: उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-08-2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31.07.2018 द्वारा पारित दण्डादेश "परिनिन्दा प्रविष्टि" को समाप्त करते हुये "उन्हें भविष्य के लिये सचेत" किया जाता है। उपरोक्तानुसार श्री ज्ञानेन्द्र कुमार का प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-50/2019/512/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !
2- श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा सम्प्रति-चित्रकूट द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।